विदेशों में कार्यालय और आवास का निर्माण

1111. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कार्यालय अथवा आवास के लिये अचल सम्पत्ति के अर्जन/निर्माण के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ये प्रस्ताव कब से विचाराधीन है; और

(ग) प्रत्येक प्रस्ताव के संबंध में विलम्ब के कारण उसकी लागत में अनुमानतः कुल कितनी वृद्धि हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०एल० भाटिया) : (क) सरकार की यह नीति रही है कि वह अपने मिशनों के कार्यालयों के लिय तथा कर्मचारियों के निवास के लिये मकान खुद खरीदे या बनाये। इन इमारतों से हमारी कार्य-संबंधी जरूरतें तो पूरी होती ही हैं, साथ ही इनसे किराया भी बचता है जो हमेशा बढ़ता ही चलता है। इस दिशा में हमारे निरन्तर प्रयासों के बावजूद जब हमारे पास नीचे लिखी स्थिति के अनुसार अपने मकान हैं :—

(1) चांसरी . . . 62

(2) मिशन प्रमुखों/केन्द्र प्रमुखों के लिये आवास . . . 66

(3) मकान/फ्लैट . . 512

(ख) और (ग) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार सम्पत्तियों की खरीद के लिये निम्नलिखित प्रस्तावों पर कार्यवाही चल रही थी :—

क्रम सं.	सम्पत्ति का ब्यौरा	जिस तारीख से कार्यवाई की गई
1.	भारत का हाई कमिश्नर, लन्दन का आवास	न्यूयार्क अगस्त, 1993
2.	संयुक्त राष्ट्र न्यूयार्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का आवास	नवम्बर, 1993
3.	भारत का राजदूतावास, बर्न में 4 कार्मिकों के लिए आवास	दिसम्बर, 1993
4.	भारत के राजदूत, तेल अवीव के लिये आवास	दिसम्बर, 1993
5.	प्रिटोरिया में चांसरी की इमारत	जनवरी, 1994
6.	भारत का राजदूतावास, बैंकाक के 3 कार्मिकों के लिये आवासीय फ्लैट	मार्च, 1994

लन्दन में हाई कमिश्नर और न्यूयार्क में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रहने के लिये सम्पत्तियों की खरीद को प्रस्तावित सम्पत्तियों की अनुपयुक्तता के कारण अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। बर्न, प्रिटोरिया और बैंकाक में सम्पत्तियों की खरीद इस बीच की जा चुकी है। तेल अवीव के प्रस्ताव को विभिन्न प्रशासनिक एवं वित्तीय कारणों से अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

उपर्युक्त मामलों पर विचार की प्रक्रिया के दौरान जो समय लगा उस बीच कीमतों में वृद्धि नहीं हुई।

31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार निर्माण परियोजनाओं की स्थिति

नीचे लिखे अनुसार थी :—

परियोजनाओं का ब्यौरा	तारीख, जिससे शुरू की गई
1. भारत का राजदूतावास, रियाद में चांसरी, राजदूत का आवास और 44 भारत आस्थानी कार्मिकों के आवासों का निर्माण	अगस्त 1989
देरी के कारण मूल्य में वृद्धि, यदि कोई है, रियाद निर्माण परियोजना के लिये संविदा दिसम्बर, 1993 में 47,189,413 सऊदी रियाल (12,568,928 अमरीकी डालर और 39,65,49,689 रुपए के बराबर) थी। अमरीकी डालर में मूल्य वृद्धि केवल 0.51% थी।	
निर्माण कार्य पहले ही मई, 1994 में शुरू हो गया है।	
2. भारत का राजदूतावास, आबू धाबी में चांसरी, राजदूत के आवास का निर्माण	सितम्बर, 1989
3. पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर का आवास, भारत का हाई कमीशन, इस्लामाबाद के अधिकारियों और स्टाफ के लिए आवास (कुल 121 इकाईयां)	अप्रैल, 1993
4. मारीशस में भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र (फरवरी, 1994 में निर्माण के लिए संशोधित गुंजाइश पर आधारित नया अनुमोदन)	जनवरी, 1990

1990-91 और 1991-92 के दौरान वित्तीय कठिनाईयों की वजह से निर्माण परियोजनायें हाथ में नहीं ली गई थीं। खाड़ी के संकट की वजह से रियाद और आबूधाबी की परियोजनाओं पर अमल में विलम्ब हुआ, क्योंकि खाड़ी युद्ध के बाद ठेकेदारों की पूर्व योग्यता और संविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया पर नये सिरे से काम करना पड़ा। ऊपर क्रम संख्या 2 से 4 तक के निर्माण प्रस्तावों पर विभिन्न प्रशासनिक वित्तीय बजट संबंधी तकनीकी और कानूनी पक्षों को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी विचार किया जा रहा है। ऊपर क्रम संख्या 2, 3, 4 के प्रस्तावों पर वैचारिक कार्रवाई करने में अगर समय लगने के कारण मूल्य में कोई वृद्धि होगी, तो उसके बारे में अभी कुछ मालूम नहीं है क्योंकि ये निर्माण कार्य अभी ठेकदारों को दिए ही नहीं गए।

प्रधान मंत्री की सिंगापुर और वियतनाम यात्रा

1112. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :**
श्री वी० नारायणसामी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में सिंगापुर और वियतनाम की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी इन देशों के नेताओं के साथ किन-किन मुद्दों पर बातचीत हुई और उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक समझौते की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ङ) क्या सिंगापुर और वियतनाम ने कश्मीर के बारे में कोई प्रस्ताव पेश किया था ;